



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 282-पें0एवंआर0-28/पाकालि/24-60-पी/98-टीसी-2018,

दिनांक : 23.02.2024

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
डी0एल0डब्लू0 भिखारीपुर,
वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 सबस्टेशन,
सिकन्दरा बाईपास रोड़, आगरा।

प्रबन्ध निदेशक,
कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0,
केसा हाउस, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जानपद),
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
4-ए, गोखले मार्ग,
लखनऊ।

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क,
मेरठ।

निदेशक,
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय : सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को विभागीय आवास के सम्बन्ध में निर्गत किये जाने वाले अदेयता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2024 को अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में डिस्कॉम के निदेशकगण एवं अन्य अधिकारियों के साथ पेंशन प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई समीक्षा बैठक में बनी सहमति के आधार पर निर्णय लिया गया है कि जो कार्मिक विभागीय कालोनियों में निवास नहीं कर रहे हैं, अर्थात् जिन्हें मकान किराये भत्ते (House Rent Allowance) का भुगतान उनके वेतन में किया जा रहा है, को विभागीय आवास से सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र सेवानिवृत्तिक माह के पूर्व माह की वेतन पर्ची के आधार पर सेवानिवृत्तिक तिथि से पूर्व निर्गत किये जायें।

अतः उक्त के दृष्टिगत, अनुरोध है कि ऐसे कार्मिक, जो विभागीय कालोनियों में निवास नहीं कर रहे हैं, अर्थात् जिन्हें मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) मिलता/मिल रहा है, को विभागीय आवास से सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र सेवानिवृत्तिक माह से पूर्व माह की वेतन पर्ची के आधार पर सेवानिवृत्तिक तिथि से पूर्व निर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कमलेश बहादुर सिंह)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

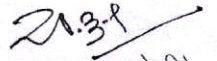
(2)

संख्या : 282-पै०एवंआर०-28 / पाकालि० / 24 / तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) पूर्वान्वल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ, एवं केस्को-कानपुर ।
4. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
5. सम्मस्त मुख्य अभियन्ता/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि० ।
6. सम्मस्त संयुक्त सचिव/अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ ।
7. सम्मस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/सम्मस्त डिस्कॉम ।
8. सम्मस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० ।
9. अधिसाशी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
10. प्रमुख महासचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103, कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, 22 ऑफ स्टेशन रोड, छितवापुर, भुइयन, लखनऊ ।
11. कट फाइल ।

आज्ञा से,


(राज कुमार रस्तोगी)
अपर सचिव (तृतीय)